बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार

(पशुपालन निदेशालय)

समेकित मुर्गी विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025–26) के अन्तर्गत पूर्व विज्ञाप्ति ब्रायलर/लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना में शेष रिक्तियों के विरूद्ध
वित्तीय वर्ष 2025–26 में ब्रायलर/लेयर फार्म हेतु पुनर्विज्ञापन

- योजना– वित्तीय वर्ष 2025–26 में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के अन्तर्गत ब्रायलर/लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना "
- कार्य क्षेत्र– योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में।
- आवेदन– विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑनलाईन लिंक खुलने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

  इच्छुक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन अपलोड करना होगा, जो मुख्य रूप से निम्न हैः–

वांछित भूमि का साक्ष्य	अद्यतन लगान रसीद/एल0पी0सी0, लीज का एकरारनामा, नजरी नक्शा
वांछित राशि का साक्ष्य	पासबुक, एफ0डी0, अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)
प्रशिक्षण	सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। (6 दिवसीय)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित रिक्ती हेतु आवेदन पत्रा)
अन्य	फोटो, आधार,वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र

- चयन– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रस्तावित योजना एवं तत्क्रम में निर्गत किये जाने वाले कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- प्राथमिकताएँ – लाभुकों का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुये पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- स्वलागत/ऋण– आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फार्म स्थापित कर सकते है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।

क्र0 सं0	कोटि	लेयर/ब्रायलर मुर्गी फार्म की क्षमता	रिक्ति (इकाई में)	इकाई लागत (लाख रूपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रूपये में)		अनुदान		भूमि की आवश्यकता
					स्वलागत	बैंक ऋण	इकाई लागत का %	अधिकतम अनुदान (लाख रूपयें में)	
1	सामान्य जाति	10,000 लेयर	16	100.00	70.00	10.00	30	30.00	100 डिसमिल
2		5,000 लेयर	17	48.50	33.95	4.85	30	14.55	50 डिसमिल
3		3,000 ब्रायलर	29	10.00	10.00	1.00	30	3.00	16.10 डिसमिल
4	अनुसूचित जाति	10,000 लेयर	14	100.00	60.00	10.00	40	40.00	100 डिसमिल
5		5,000 लेयर	19	48.50	29.10	4.85	40	19.40	50 डिसमिल
6	अनुसूचित जनजाति	10,000 लेयर	1	100.00	60.00	10.00	40	40.00	100 डिसमिल
7		5,000 लेयर	2	48.50	29.10	4.85	40	19.40	50 डिसमिल
8		3,000 ब्रायलर	3	10.00	10.00	1.00	50	5.00	16.10 डिसमिल

- रिक्तियों की संख्या अन्नतिम (Tentative) है।
- लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आगामी समरूप योजना में सशर्त चयन किया जा सकेगा एवं संबंधित जिलों में संबंधित कोटि में रिक्ति उपलब्ध हो।
- ऑनलाईन आवेदन भरने के पहले पूर्वाभ्यास हेतु मॉडल आवेदन पत्रा विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
- विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक, पशुपालन, बिहार

PR No.- 026010 (Animal)D. 2025-26